

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्टस, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां तालिका 3.1 में दी गई हैं।

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	आई.जी.ए.एस. 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसे कि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है।
2	आई.जी.ए.एस. 2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) कुछ सहायतानुदानों को पूंजीगत भाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकारी लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

3.2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा में लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र सत्यापन के बाद, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि,

प्रस्तुतिकरण हेतु देय कुल ₹ 31,175.20 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों से सम्बंधित 25,792 उ.प्र.प. में से ₹ 8,469.46 करोड़ की राशि के 1,732 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभाग-वार विघटन **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में वर्ष-वार विलंब **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14 तक	1,022	5,897.44	279	1,707.65	69	243.88	210	1,463.77
2014-15	4,907	4,068.88	166	1,107.81	65	678.07	101	429.74
2015-16	5,810	5,086.97	454	1,483.64	181	665.78	273	817.86
2016-17	6,381	8,014.08	616	3,290.12	217	1,229.31	399	2,060.81
2017-18	7,672	8,107.84	7,672	8,107.84	6,923	4,410.53	749	3,697.31
कुल	25,792	31,175.20	9,187	15,697.06	7,455	7,227.57	1,732	8,469.49

वर्ष 2018-19 के दौरान देय, 25 विभागों द्वारा राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए ₹ 3,697.31 करोड़ के सहायतानुदानों से संबंधित 749 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2017-18 तक प्रस्तुत करने के लिए देय ₹ 4,772.18 करोड़ की राशि के 983 उ.प्र.प. भी 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹ 8,469.46 करोड़ की राशि से संबंधित कुल 1,732 उ.प्र.प. 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने के लिए देय थे। इसलिए, यह आशवस्त नहीं किया जा सकता कि ₹ 8,469.49 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। इतने अधिक उ.प्र.प. का लंबित रहना निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.3 लेखों के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

87 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 166 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2019 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है और विलम्ब की आयु-वार स्थिति **तालिका 3.3** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.3: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की आयु-वार स्थिति

क्र.सं.	विलम्ब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1	0-1	83	298.74
2	2-3	82	221.89
3	4 एवं अधिक	1	0.01
	कुल	166	520.64

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 2018-19 में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाले 135 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 43 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

3.4 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 30 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर ने 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे किन्तु इससे आगे के वर्षों के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिये थे। सात स्वायत्त निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा तीन वर्षों के मध्य रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाये एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाये।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2017-18) से संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

सरकार द्वारा, स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.5 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2019 तक, ऐसे पांच उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 से 2014-15 तक के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 8,113.30 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार राज्य के वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

3.6 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि के लिए जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 1.28 करोड़ के सरकारी धन से संबंधित दुरुपयोग तथा गबन के 75 मामलों में जून 2019 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। ये सभी 75 मामले संबंधित विभागों द्वारा पुलिस को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवा कर सूचित किये गए थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन परिशिष्टों के विश्लेषण से प्रकट चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की आयु-वार रूपरेखा तथा संख्या **तालिका 3.4** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानियाँ, गबन, इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0 - 5	35	95.37	चोरी के मामले	60	110.75
5 - 10	4	1.61			
10 - 15	10	16.00	सरकारी सामान का दुरुपयोग/हानि	15	16.98
15 - 20	7	10.80			
20 - 25	3	0.24			
25 एवं अधिक	16	3.71			
कुल	75	127.73	जून 2019 को कुल लंबित मामले	75	127.73

मामलों के लम्बित रहने के कारण **तालिका 3.5** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.5: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

लंबित मामले विलंबित/बकाया होने के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	57	108.93
ii	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की गई किन्तु राशि की वसूली हेतु आपराधिक मामले का कार्यान्वयन लम्बित	3	1.09
iii	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	9	3.88
iv	न्यायालयों में लम्बित	6	13.83
कुल		75	127.73

हानि के सभी मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 76 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि 12 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। यह भी देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग के कारण हानियों के 75 मामलों में से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 19 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। इन मामलों में अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.7 लेखों का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

2018-19 के दौरान विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत बृहद शीर्षों के अन्तर्गत कुल ₹ 8,581.76 करोड़ का व्यय (कुल व्यय¹ का 9.28 प्रतिशत) लघु शीर्ष-800 में वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सप्लाइ, मध्यम सिंचाई, अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय तथा पर्यटन पर पूंजीगत व्यय में से 90 प्रतिशत से अधिक के व्यय उपयुक्त शीर्ष में दर्शाने की बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

यह मामला राज्य के वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। तथापि, बहुप्रयोजन लघु शीर्ष का परिचालन निरंतर समान स्तर पर है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत महत्वपूर्ण राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

सरकार द्वारा, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशियों को मुख्य स्कीमों के व्यय में एकीकृत करके लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत न दिखाकर उपयुक्त रूप से दर्शाने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य निधियों से हस्तांतरण द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक

¹ ऋण एवं अग्रिम छोड़कर।

है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। आगे यह प्रावधान भी है कि यदि व्यक्तिगत जमा खाता काफी समय तक संचालित नहीं किया गया हो तथा यह लगे कि जमा खाते की अब आवश्यकता नहीं है तो जिस अधिकारी के नाम पर खाता खोला गया था उससे परामर्श के बाद खाता बंद कर देना चाहिए।

राज्य में 31 मार्च 2019 को 143 व्यक्तिगत जमा खाते थे जिनमें ₹ 1,326.90 करोड़ के अंतिम शेष थे। इसमें से राज्य की समेकित निधि से खोले गए एक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 1,018.44 करोड़ (76.75 प्रतिशत) की राशि शहरी विकास विभाग (प्रमुख शीर्ष 2217) से संबंधित है। यह खाता वित्तीय वर्ष के अंत तक बंद करना चाहिए था और अव्ययित शेष को समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। अतः व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी राशियों की सीमा तक व्यय अधिक दिखाए गए। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जमा खातों के प्रबंधकों ने खजाने के आंकड़ों के साथ अपने शेषों का मिलान नहीं किया था। व्यक्तिगत जमा खातों का मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न करना, सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

3.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति द्वारा चयनात्मक आधार पर चर्चा की गई। वर्ष 2013-14 से संबंधित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गोहाना में ₹ 1.61 लाख की राशि की दो मोटरों की चोरी के एक मामले पर अभी तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गई थी (सितंबर 2019)। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 06 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

3.10 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किये बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया। स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए थे। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि तथा

गबन के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2018-19 के दौरान कुल व्यय का 9.28 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उपर्युक्त बिंदु हरियाणा सरकार को जनवरी 2020 में टिप्पणी एवं उत्तर के लिए भेजे गए थे। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2020)।

चण्डीगढ़
दिनांक: 14 जुलाई 2020

फैसल
(फैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 जुलाई 2020

राजीव महर्षि
(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक